न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 191 / 2017 एल आर एक्ट (GCMS No 2017/ 00051)
अनवान सफी मोहम्मद बनाम संदीक मोहम्मद वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर अपील सं. 73 / 2004 दिनांक 31.5.05

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
25.05.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 2 के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उसके जायज वारिसानो की सूची एवं रेस्पोडेन्ट सं. 5, 10, 11, 12 के निमित नोटिस पेश करने हेतु बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद भी अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आज तारीख पेशी तक रेस्पोडेंट संख्या 2 के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उसके जायज वारिसानो की सूची एवं रेस्पोडेन्ट सं. 5, 10, 11, 12 के निमित नोटिस पेश नही किये गये है। पत्रावली वर्ष 2005 से विचाराधीन चल रही है। इस प्रकार अभिभाषक अपीलांट की एवं स्वय अपीलान्ट की बिना किसी आधार के उनके न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्व करती है व स्वेच्छा से मामला चलाने मे अरूचि जाहिर करती है। न्याय की वांछा करने वाले पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन व्यक्तियो के नाम पते व जानकारी न्यायालय को दे जिनके विरूद्व वह उपचार चाहता है। इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही करने के कारण यह पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	अधीनस्थ को रिकार्ड भेजा 412-414 23.6.22